बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के0प्रा0यो0 (शत प्रतिशत)

ज्ञापांक– 1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32/2008– 67 पटना, दिनांक– 01/11/18

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0एवं ह0)
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल रू0 28,889/– (रूपये अट्ठाईस हजार आठ सौ नवासी) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति मद में कुल रू0 78,92.65 लाख (रूपये अठहत्तर करोड़ बानवें लाख पैंसठ हजार) मात्र का बजट उपबंध किया गया है। उक्त उपबन्धित राशि के विरूद्ध राशि की उपलब्धता के आधार पर कुल रू0 28,889/– (रूपये अट्ठाईस हजार आठ सौ नवासी) मात्र भागलपुर जिला को स्वीकृत किया जाता है।

2– उक्त स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2018–19 में माँग संख्या–11 के अन्तर्गत योजना बजट शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0215–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति–3401 छात्रवृत्ति/ वजीफा विपत्र कोड–11–2225032770215 के'' अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उक्त राशि का व्यय वित्तीय 2017–18 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को लाभन्वित करने हेतु किया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग का संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी हीं की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2019 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

6– इस संबंध में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7– संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

1.11.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सचिव।

D/PMS Sanction & Allotment

ज्ञापांक–1 / छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32 / 2008– 67 पटना, दिनांक– 01/11/18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर / उप कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, भागलपुर / उप विकास आयुक्त, भागलपुर / प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण, भागलपुर / जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर / सचिव कोषांग / विशेष सचिव कोषांग / उप सचिव / बजट सहायक / पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.11.18

सचिव।

ज्ञापांक–1 / छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32 / 2008– 67 पटना, दिनांक– 01/11/18

प्रतिलिपि– निदेशक (बी0सी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नौवां ब्लॉक, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

1.11.18

सचिव।

ज्ञापांक–1 / छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32 / 2008– 67 पटना, दिनांक– 01/11/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1.11.18

सचिव।